पासपोर्ट
PASSPORT

सत्यमेव जयते

भारत गणराज्य
REPUBLIC OF INDIA

सत्यमेव जयते

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सब से जिनका इस बात से सरोकार हो, यह प्रार्थना एवं अपेक्षा की जाती है कि वे वाहक को बिना रोक-टोक, आज़ादी से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

These are to request and require in the Name of The President of the Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance, and to afford him or her every assistance and protection of which he or she may stand in need.

CANCELLED

Given at Madras

the Thirteenth *day*

of February 1976 *A.D.*

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से दिया गया
BY ORDER OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

REGIONAL PASSPORT & EMIGRATION OFFICE
GOVERNMENT OF INDIA
MADRAS

Regional Passport Officer

6021/76.

इस पासपोर्ट में 32 पृष्ठ हैं।
This Passport contains
32 pages.

पासपोर्ट
PASSPORT

भारत

INDIA

पासपोर्ट का नम्बर
NO. OF PASSPORT — K 695760

वाहक का नाम
NAME OF BEARER — ARUN MADHAV SARPESHKAR

साथ है उसकी पत्नी (जन्म नाम)
ACCOMPANIED BY HIS WIFE
(MAIDEN NAME) — UNMARRIED

और Nil बच्चे।
AND CHILDREN.

राष्ट्रिकता
NATIONAL STATUS

CITIZEN OF INDIA

K 695760

विवरण
DESCRIPTION

		पत्नी Wife
व्यवसाय Profession	Engineer	
जन्म-स्थान और जन्म की तारीख Place and date of birth	Bangalore Karnataka State Aug 10, 1934	
अधिवास Domicile	India	United States
क़द Height	मी. 1 से. मी. 68 M. C. m.	मी. से. मी. M. C.m.
आँखों का रंग Colour of eyes	Black	
बालों का रंग Colour of hair	Black	
पहचान के प्रकट चिह्न Visible distinguishing marks	A mole on nose	

CANCELLED

बच्चे – CHILDREN

नाम Name	जन्म की तारीख Date of Birth	लड़का / लड़की Male / Female

K 695760

वाहक का फ़ोटो
PHOTOGRAPH OF BEARER

CANCELLED

पत्नी
WIFE

फ़ोटो
(PHOTO)

SIGNATURE OF BEARER.

पत्नी के हस्ताक्षर
SIGNATURE OF WIFE.

K 695760

यह पासपोर्ट इन देशों के लिए वैध है :
Countries for which this Passport is valid

People's Republic of Southern Yemen, Saudi Arabia, Arab Republic of Egypt, Syrian Arab Republic, Iraq, Irán, Lebanon, Jordan, Ireland, United States of America, Japan, Philippines, Thailand, Indonesia, All Commonwealth Countries and All Countries in Europe including Turkey and Union of Soviet Socialist Republics.

(S.P.6)

अवधि बढ़ाई न जाए तो इस पासपोर्ट की वैधता निम्न तिथि को समाप्त होती है :
Unless renewed the validity of this Passport expires on

February 12, 1981

(S.P.6)

CANCELLED

जारी करने का स्थान
Issued at — Madras

तारीख
date — February 13, 1976

K 695760

घर का पता
Home address

भारत में स्थायी पता (अर्थात - गाँव या क़स्बे का नाम , जिला और राज्य) :-
Permanent address in India :-
(Including Village or Town, District and State)

No: 4 Kanakapura Road

Bangalore - 560004

Karnataka State

पिता / पति का नाम और पता (अर्थात - गाँव या क़स्बे का नाम, जिला और राज्य) :-
Name of Father / Husband and his full address
(Including Village or Town, District and State)

B. S. Madhava Rao.

CANCELLED

टिप्पणी
OBSERVATIONS

Held on Indian Official Passport No. O-0/16663 dated 12-7-1966 at Madras.

has been cancelled and returned to the holder

Last Residence in India

K 695760

नवीकरण
RENEWALS

No. 1741 Dated 20.3.1985

The validity of this passport is hereby extended upto February 1986 (final) Nineteen eighty six)

Valid for travel to

सभी देश/ ALL COUNTRIES
(दक्षिण अफ्रीका/ Except Republic of South
छोड़कर)/ Africa

(D. ANDREW)
Public Relations Officer
Passport Office
Bangalore.

Ministry of External Affairs
विदेश मंत्रालय
PASSPORT OFFICE
पारपत्र कार्यालय
BANGALORE

K 695760

वीज़ा
VISAS

K 695760

वीज़ा

VISAS

K 695760

वीज़ा

VISAS

K 695760

वीज़ा
VISAS

K 695760
वीज़ा
VISAS

K 695760
वीज़ा
VISAS

K 695760
वीज़ा
VISAS

K 695760

वीज़ा
VISAS

K 695760

वीज़ा
VISAS

K 695760
बीजा
VISAS

K 695760
वीज़ा
VISAS

K 695760

वीज़ा
VISAS

K 695760

वीज़ा
VISAS

K 695760
वीज़ा
VISAS

K 695760
वीज़ा
VISAS

K 695760

वीज़ा
VISAS

K 695760

वीज़ा
VISAS

K 695760

वीज़ा
VISAS

K 695760

वीज़ा

VISAS

K 695760

वीज़ा
VISAS

K 695760

वीज़ा
VISAS

K 695760

वीज़ा

VISAS

K 695760

वीज़ा
VISAS

K 695760

सफ़र-ख़र्च के लिए विदेशी मुद्रा

FOREIGN EXCHANGE FOR TRAVELLING EXPENSES

इस पृष्ठ के खानों को विदेशी मुद्रा के अधिकारप्राप्त व्यवसायी के अलावा और कोई न भरे।

No entries to be made on this page except by an authorised dealer in foreign exchange.

तारीख़ Date	देश का नाम जिसकी यात्रा के लिए मुद्रा बेची गई Country of travel for which exchange has been sold.	दी गई या लौटाई गई रक़म (निकटतम पौंड या रुपए के बराबर-पौंड या रुपयो में) Amount issued or refunded (Sterling or rupee equivalent to nearest £ or Re.)	मुद्रा के अधिकारप्राप्त व्यवसायी की मुहर और उसके हस्ताक्षर Stamp and signature of Authorised Dealer selling exchange.

K 695760

तारीख Date	देश का नाम जिसकी यात्रा के लिए मुद्रा बेची गई Country of travel for which exchange has been sold.	दी गई या लौटाई गई रक़म (निकटतम पौंड या रुपए के बराबर-पौंड या रुपयों में) Amount issued or refunded (Sterling or rupee equivalent to nearest £ or Re.)	मुद्रा के अधिकारप्राप्त व्यवसायी की मुहर और उसके हस्ताक्षर Stamp and signature of Authorised Dealer selling exchange.

K 695760

विनियम

1. यह पासपोर्ट केवल उन देशों की यात्रा के लिए है, जिनका उल्लेख पृष्ठ 4 पर है, लेकिन इस पर और देशों के लिए भी पृष्ठांकन किया जा सकता है। इस प्रकार पृष्ठांकित पासपोर्ट होने से पासपोर्टधारी को इस बात की छूट नहीं मिल जाती कि वह किसी देश में लागू आप्रवास कानूनों का पालन न करे, अथवा जहाँ वीज़ा हासिल करना आवश्यक हो, वहाँ उसे न ले।

2. (क) पासपोर्ट में पासपोर्टधारी की पत्नी का विवरण सम्मिलित होने पर भी, वह उसके पासपोर्ट पर अकेली यात्रा नहीं कर सकेगी।

(ख) पन्द्रह साल से ऊपर की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग पासपोर्ट लेना ज़रूरी होगा।

3. पासपोर्ट की वर्तमान वैधता की समाप्ति के बाद, उसे, उसकी पूरी अवधि के दौरान में किसी भी समय फिर से वैध किया जा सकेगा।

4. पासपोर्ट किसी भी देश से बाहर डाक द्वारा नहीं भेजना चाहिए।

रजिस्ट्री

विदेशों में रहनेवाले भारतीय नागरिकों के लिए यह नितांत आवश्यक है कि वे यथाशीघ्र निकटतम भारतीय मिशन में अपने नाम और पते रजिस्टर-दर्ज कराएँ। पते में परिवर्तन की या उस देश से रवानगी की सूचना भी मिशन को दे देनी चाहिए।

चेतावनी

1. यह पासपोर्ट मूल्यवान प्रपत्र है। इसे किसी अनधिकारी के हाथों में न पहुँचने देना चाहिए। यदि यह खो जाए या नष्ट हो जाए तो इस बात की और इसके कारणों की सूचना तत्काल भारत में सबसे निकट के 'पासपोर्ट जारी करनेवाले अधिकारी' को या (यदि पासपोर्टधारी विदेश में हो तो) निकटतम भारतीय मिशन को तथा स्थानीय पुलिस को दे देनी चाहिए।

2. इस पासपोर्ट में न तो किसी प्रकार की अदल-बदल करनी चाहिए, न इसे विकृत करना चाहिए और न विधिवत अधिकारप्राप्त सरकारी कर्मचारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को इस पर पृष्ठांकन ही करना चाहिए।

3. भारत सरकार की इच्छा पर यह पासपोर्ट किसी भी समय रद्द किया अथवा वापस लिया जा सकता है; ऐसी सूरत में, पासपोर्टधारी को चाहिए कि वह निकटतम पासपोर्ट जारी करनेवाले अधिकारी को यह पासपोर्ट दे दे।

4. पासपोर्टधारी की पहचान का पक्का प्रमाण पासपोर्ट होता है, इसलिए उसको चाहिए कि वह इसे अपने साथ रखे।

REGULATIONS.

1. This Passport is available for travel only to the countries specified on page 4, but may be endorsed for additional countries. The possession of a Passport so endorsed does not exempt the holder from compliance with any immigration laws in force in any country or from the necessity of obtaining a visa where required.

2. (a) Even if particulars of the wife of a Passport holder are included in his Passport, she cannot travel on it alone;

(b) Children who are above fifteen years of age require separate Passports.

3. A Passport can be revalidated at any time after the expiry of its existing validity but within its total life.

4. Passport should not be sent out of any country by post.

REGISTRATION.

It is most important that Indian citizens resident abroad should at the earliest opportunity register their names and addresses at the nearest Indian Mission. Changes of address or departure from that country should also be notified to them.

CAUTION.

1. THIS PASSPORT IS A VALUABLE DOCUMENT. IT SHOULD NOT BE ALLOWED TO PASS INTO THE POSSESSION OF ANY UNAUTHORISED PERSON. IF LOST OR DESTROYED, THE FACT AND CIRCUMSTANCES SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST "PASSPORT ISSUING AUTHORITY" IN INDIA OR (IF THE HOLDER IS ABROAD) TO THE NEAREST INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE.

2. THIS PASSPORT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY NOR ANY ENDORSEMENT MADE ON IT BY ANY PERSON OTHER THAN A DULY AUTHORISED OFFICIAL.

3. THIS PASSPORT MAY BE CANCELLED OR WITHDRAWN AT ANY TIME AT THE DISCRETION OF THE GOVERNMENT OF INDIA, IN WHICH EVENT THE HOLDER MUST SURRENDER THE PASSPORT TO THE NEAREST PASSPORT ISSUING AUTHORITY.

4. THE PASSPORT IS A SURE MEANS OF ESTABLISHING THE HOLDER'S IDENTITY AND SHOULD, THEREFORE, BE CARRIED PERSONALLY.

INDIA SECURITY PRESS.